



प्रेस नोट जनपद बागपत

थाना सिंघावली अहीर

दिनांक 23.04.2026

थाना सिंघावली अहीर पुलिस व सर्विलांस सैल की संयुक्त टीम द्वारा चैकिंग के दौरान थाने के मु0अ0सं0 104/26 धारा 305(क) बीएनएस व मु0अ0सं0 106/26 धारा 303(2) बीएनएस का सफल अनावरण करते हुए प्रकाश में आए अन्तर्राज्यीय 02 पशु चोरों को बाद पुलिस मुठभेड घायलावस्था में व 01 अन्य अभियुक्त को किया गिरफ्तार, जिनके कब्जे से चोरी की गई महिन्द्रा बुलेरो पीकअप नं0 UP 17 BT 0981 व 02 अवैध तमंचा .315 बोर मय 02 खोखा व 02 जिन्दा कारतूस .315 बोर तथा भैंस के गले में बांधने वाली जंजीर/ रस्सी आदि बरामद ।

संक्षिप्त विवरण-

1- दिनांक 26.03.26 को थाना सिंघावली अहीर पर वादी निजामू पुत्र सलीमू निवासी ग्राम बसौद थाना सिंघावली अहीर जनपद बागपत ने लिखित तहरीर दी कि अज्ञात अभियुक्त द्वारा वादी के घर से 01 भैंस, 01 झुटिया व 01 कटिया कुल 03 पशु चोरी कर लिए गए हैं । इस सम्बंध में प्राप्त तहरीर के आधार पर



थाना सिंघावली अहीर पर मु0अ0सं0 104/26 धारा 305(क) बीएनएस पंजीकृत किया गया ।

2-दिनांक 27.03.26 को थाना सिंघावली अहीर पर वादिया ने लिखित तहरीर दी कि अज्ञात चोरों द्वारा वादिया के लडके सिराजुद्दीन की गाडी महिन्द्रा बुलेरो पीकअप नं0 – UP 17 BT 0981 को चोरी कर लिया गया है । इस सम्बंध में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना सिंघावली अहीर पर मु0अ0सं0 106/26 धारा 303(2) बीएनएस पंजीकृत किया गया एवं विवेचनात्मक कार्यवाही प्रारम्भ की गई व अभियुक्तगण की गिरफ्तारी हेतु थाना सिंघावली अहीर पर टीम का गठन किया गया ।

कार्यवाही-

श्रीमान पुलिस अधीक्षक बागपत के निर्देशन में जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं चोरों/वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत थाना सिंघावली अहीर पुलिस व सर्विलांस सैल की संयुक्त टीम द्वारा दिनांक 23.04.2026 की रात्रि में डौला-खट्टा नहर पटरी पर चैकिंग के दौरान एक संदिग्ध पिकअप वाहन को रोकने का प्रयास किया गया । वाहन में सवार अभियुक्तगण द्वारा चकरोड़ मार्ग की ओर मुड़कर भागने का प्रयास किया गया, किन्तु वाहन फंस जाने पर अभियुक्तगण वाहन से उतरकर पुलिस पार्टी पर जान से मारने की नियत से फायर करने लगे । पुलिस द्वारा की गई जवाबी कार्यवाही में 02 अन्तर्राज्यीय पशु चोरों को घायल अवस्था में तथा 01 अन्य अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है, जिनके कब्जे से चोरी की गई महिन्द्रा बुलेरो पिकअप वाहन संख्या UP 17 BT 0981, 02 अवैध तमंचा .315 बोर मय 02 खोखा कारतूस व 02 जिन्दा कारतूस .315 बोर तथा भैंस के गले में बांधने वाली जंजीर/रस्सी आदि बरामद किए गए ।

उपरोक्त गिरफ्तारी एवं बरामदगी के सम्बंध में थाना सिंघावली अहीर पर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है ।

नोट:-1- उक्त कार्रवाई के क्रम में थाना सिंघावली अहीर के मु0अ0सं0 104/26 धारा 305(क) बीएनएस व मु0अ0सं0 106/26 धारा 303(2) बीएनएस का सफल अनावरण किया गया । गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म के पशु चोर हैं, जो जनपद बागपत सहित सहारनपुर, शामली एवं मुजफ्फरनगर जनपदों में पशु चोरी की घटनाओं को अंजाम देते थे ।

नोट:-2- गिरफ्तार अभियुक्तों द्वारा पूछताछ में यह भी स्वीकार किया गया कि उक्त पिकअप वाहन को ग्राम बरासया से चोरा किया गया था तथा उसी वाहन का प्रयोग

करते हुए ग्राम बसौद से 02 भैंस व 01 कटिया चोरी की गई थी एवं हरियाणा राज्य में भी हम इस तरह की घटनाएं कारित कर चुके हैं।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पता-

- 1-नोमान पुत्र फुरकान निवासी ग्राम बघरा थाना तितावी जनपद मुजफ्फर नगर (घायल)
- 2-उम्मेद पुत्र रिजवान निवासी ग्राम बघरा थाना तितावी जनपद मुजफ्फर नगर (घायल) - मजारिया हिस्ट्रीशीटर थाना तितावी जनपद मुजफ्फरनगर।
- 3-रिजवान उर्फ रिज्जू पुत्र यूसूफ निवासी ग्राम बघरा थाना तितावी जनपद मुजफ्फरनगर।

बरामदगी का विवरण—

- महिन्द्रा बुलेरो पीकअप नं0 UP 17 BT 0981
- 02 अवैध तमंचा .315 बोर मय 02 खोखा व 02 जिन्दा कारतूस .315 बोर
- भैंस के गले में बांधने वाली जंजीर/रस्सी आदि।

गिरफ्तार अभियुक्त नोमान उपरोक्त का आपराधिक इतिहास-

1. मु0अ0सं0 240/19 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना तितावी मुजफ्फरनगर
2. मु0अ0सं0 241/19 धारा 100,41 सीआरपीसी व 411 भादवि थाना तितावी मुजफ्फरनगर।
3. मु0अ0सं0 69/23 धारा 307/323/352/506 भादवि व 3/25/27 आर्म्स एक्ट थाना तितावी मुजफ्फरनगर।
4. मु0अ0सं0 104/26 धारा 305(क) बीएनएस थाना सिंघावली अहीर जनपद बागपता।
5. मु0अ0सं0 106/26 धारा 303(2) बीएनएस थाना सिंघावली अहीर जनपद बागपता।

गिरफ्तार अभियुक्त उम्मेद उपरोक्त का आपराधिक इतिहास-

1. मु0अ0सं0 69/23 धारा 307/323/352/506 भादवि व 3/25/27 आर्म्स एक्ट थाना तितावी जनपद मुजफ्फरनगर।
2. मु0अ0सं0 434/23 धारा 380 भादवि थाना कांधला जनपद शामली।
3. मु0अ0सं0 303/23 धारा 379/411 भादवि थाना भवन जनपद शामली।
4. मु0अ0सं0 96/23 धारा 380 भादवि थाना बाबरी शामली।

5. मु0अ0सं0 650/23 धारा 120बी,380 भादवि थाना बडौत बागपत ।
6. मु0अ0सं0 717/23 धारा 120बी/307/411/420/465 भादवि व 3/25/27 आम्स एक्ट थाना बडौत बागपत ।
7. मु0अ0सं0 128/23 धारा 380 भादवि थाना चांदीनगर जनपद बागपत ।
8. मु0अ0सं0 210/23 धारा 380 भादवि थाना छपरौली जनपद बागपत ।
9. मु0अ0सं0 356/23 धारा 120बी/380 भादवि थाना खेकडा जनपद बागपत ।
10. मु0अ0सं0 104/26 धारा 305(क) बीएनएस थाना सिंघावली अहीर जनपद बागपत
11. मु0अ0सं0 106/26 धारा 303(2) बीएनएस थाना सिंघावली अहीर जनपद बागपत

गिरफ्तार अभियुक्त रिजवान उर्फ रिज्जू उपरोक्त का आपराधिक इतिहास-

1. मु0अ0सं0 104/26 धारा 305(क) बीएनएस थाना सिंघावली अहीर जनपद बागपत।
2. मु0अ0सं0 106/26 धारा 303(2) बीएनएस थाना सिंघावली अहीर जनपद बागपत।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- 1--प्रभारी निरीक्षक श्री मनोज चाहल थाना सिंघावली अहीर जनपद बागपत ।
- 2- उ0नि0 श्री संजय कुमार प्रभारी सर्विलांस मय टीम जनपद बागपत ।
- 3- उ0नि0 श्री रजत कुमार थाना सिंघावली अहीर जनपद बागपत ।
- 4- उ0नि0 श्री शीलेन्द्र सिंह थाना सिंघावली अहीर जनपद बागपत ।
- 5- उ0नि0 श्री नकुल राठी थाना सिंघावली अहीर जनपद बागपत ।
- 6- है0का0 410 राजवीर सिंह थाना सिंघावली अहीर जनपद बागपत ।
- 7- है0का0 331 सुनील कुमार थाना सिंघावली अहीर जनपद बागपत।



प्रेस नोट जनपद बागपत
थाना दोघट

दिनांक-23.04.2026

थाना दोघट पुलिस ने चैकिंग के दौरान एक अभियुक्त को किया गिरफ्तार, जिसके कब्जे से एक अवैध तमंचा .315 बोर मय एक जिन्दा कारतूस .315 बोर बरामद ।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम हेतु चलाये जा रहे ऑपरेशन शस्त्र अभियान के अन्तर्गत थाना दोघट पुलिस द्वारा चैकिंग के दौरान एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है । गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से एक अवैध तमंचा .315 बोर मय एक जिन्दा कारतूस .315 बोर बरामद हुआ है ।

उपरोक्त गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में थाना दोघट पर मु0अ0सं0

113/2026 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत कर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है ।

महत्वपूर्ण सूचना:- बागपत पुलिस द्वारा सूचित किया जाता है कि कोई भी व्यक्ति अवैध असलाह का प्रयोग न करें तथा अवैध व लाईसेन्सी असलाह का प्रदर्शन न किया जाए । यदि ऐसा कोई भी प्रकरण संज्ञान में आता है तो उसके विरुद्ध कठोर वैधानिक कार्यवाही की जाएगी ।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

देवराज पुत्र गिनवा निवासी ग्राम झुण्डपुर थाना दोघट जनपद बागपत ।

बरामदगी का विवरण-

- एक अवैध तमंचा .315 बोर मय एक जिन्दा कारतूस .315 बोर ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1-उ0नि0 दिव्य कुमार थाना दोघट जनपद बागपत ।

2- का0 73 रविन्द्र कुमार थाना दोघट जनपद बागपत ।





प्रेस नोट जनपद बागपत

थाना बडौत

दिनांक 23.04.2026

थाना बडौत पुलिस ने 03 वारंटी अभियुक्तों को किया गिरफ्तार ।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वारंटी अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना बडौत पुलिस द्वारा 03 वारंटी अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है एवं अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।



गिरफ्तार वारंटी अभियुक्त का नाम व पता-

- 1-सुनील कुमार उम्र 51 उम्र वर्ष पुत्र सतपाल सिंह निवासी ग्राम ढिकाना थाना बडौत बागपत ।
- 2.नवीन कुमार उम्र 45 वर्ष पुत्र सतपाल सिंह निवासी ग्राम ढिकाना थाना बडौत बागपत।
- 3.वारंटी अभि0 सोनू पुत्र रामकिशन निवासी ग्राम बाघू थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- 1.उ0नि0 श्री राजकुमार थाना बडौत जनपद बागपत
- 2.उ0नि0 श्री ओमपाल सिंह थाना बडौत जनपद बागपत।
- 3.है0का0 268 ग्रीश कुमार थाना बडौत जनपद बागपत
- 4.है0का0 661 गंगाप्रसाद थाना बडौत जनपद बागपत
- 5.एचजी 272 जितेन्द्र सिंह थाना बडौत जनपद बागपत।